कार्यालय उन्नायक सेवा समिति

Plot No. - 960/22, Kelo Vihar Colony, Raigarh (C.G.)
Email – ussrgh@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20

04.04.2004 को स्थापित एवं 01.07.2005 को (छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1974 के अधीन पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक–3235) पंजीकृत हमारे उपरोक्तानुसार समिति वर्तमान में संचालनालय समाज कल्याण, संचालनालय महिला एवं बाल विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त,शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा नेषनल ट्रस्ट, नीति आयोग, 12A and 80G of IT Act, FCRA और किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकृत है।

समिति द्वारा दिव्यांग, परित्यक्त, अभ्यर्पित तथा समस्त प्रकार के सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संस्थागत तथा गैर संस्थागत पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत् कार्य किए जाते है। उक्त कार्य हेतु समिति द्वारा 09 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका का विवरण निम्नानुसार है–

❖ **उम्मीद रायगढ़** :–समिति द्वारा उम्मीद रायगढ़ नाम से दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विषेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 50 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त एवं शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त 69 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **नई उम्मीदः**— 15.06.2013 को नई उम्मीद नाम से कौहाकुण्डा रायगढ़ में प्रारंभ की गई यह बालगृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई. सी. पी.एस.) के प्रायोजकता से संचालित है, जो कि किषोर न्याय अधिनियम द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था में संरक्षण एवं सुरक्षा के जरुरतमंद विषेष आवष्यकता वाले (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों को उनके पुनर्वास हेतु सुविधाऐं मुहैया कराया जाता है। बालकों को जरुरत अनुसार स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षाएवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरुप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते है। उक्त बालगृह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं प्राप्त हो रहा है। इस संस्था में अपने परिवार से बिछड़े हुए (जो अपना नाम व पता नही बता पाते है) बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित करने हेतु प्रयास किए जाते है। समस्त हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधित उचित देखभाल, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में संस्था में 50 बालक लाभान्वित हो रहे है।

❖ **मातृनिलयम** :—01.07.2013 को **मातृनिलयम** नाम से डिग्री कॉलेज के पास, लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। यह संस्था 0 से 6 वर्ष तक के (पालकविहिन, एकल पालक, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित आदि) शिशुओं का **विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी** एवं शिशुगृह है। यहां बाल कल्याण समिति द्वारा सौपें गये सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद उपरोक्तानुसार शिशुआ के लिए उचित संरक्षण एवं पुनर्वास (गैर संस्थागत) का व्यवस्था किया जाता है। यहां निवासरत शिशुओ को संस्था में नियमानुसार उचित संरक्षण एवं देखभाल करने के साथ—साथ उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत परिवार मुहैया कराया जाता है। उक्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु इच्छा प्रकट करने वाले पालकों को शिशु उपलब्ध कराया जाता है। इस संस्था में निवासरत शिशुओं को सुरक्षा, संरक्षण, चिकित्सा, शिक्षा, फिजियोथेरेपी आदि सेवा प्रदाय किया जाता है।

उक्त संस्था द्वारा वर्तमान पर्यन्त कुल 92 शिशुओं को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत पालक देखरेख हेतु पालकों को सौपा गया है तथा 02 शिशुओं का अंतर्देशीय दत्तकग्रहण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संस्था में 16 शिशु निवासरत हैं। उक्त संस्था निम्न भवन के निचला तल में संचालित है।

❖ **आशियाना** :—14.09.2013 को **आशियाना** नाम से **खुला आश्रयगृह** डिग्री कॉलेज के पास, लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं मिशन वात्सल्य के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद घुमन्तु, नशाशक्त, बालश्रमिक, मानव तस्करी से पीड़ित, गुमशुदा, आपदा पीड़ित, भागे हुए एवं किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार आदि 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को अल्प समयावधि के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनका उचित देखभाल, संरक्षण एवं चिकित्सा आदि सुविधा मुहैया करवाया जाता है। वर्तमान संस्था में कुल 12 बच्चे निवासरत है। यह संस्था निम्न भवन के प्रथम तल पर संचालित है।उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 618 बालकों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है।**जिनमें से इस वर्ष दाखिला प्राप्त 53 बालको में से 18 बालको को नशा मुक्त कराया गया है। जो कि संस्था मे आने से पहले सेल्युशन,गांजा,तम्बाकु एवं मद्यपान आदि नशाकरते थे। इन बालकों को इस संस्था मे नशा मुक्त कराया जा कर इनमें से जो बिना पालक वाले बच्चें एवं एकल पालक वाले बालक थे इन्हें हमारे संस्था द्वारा संचालित बालगृह में स्थानांतरण कर उनका सम्पुर्ण विकास हेतु उन्हें स्कुल मे दाखिला कराया गया है, एवं कुछ बालको को व्यावसायीक प्रशिक्षण दिया जा कर उन्है रोजगार क्षम बनाया गया है।**

❖ **निलाचलः**—01.09.2015 को निलाचल नाम से पहाड़ मंदिर के पीछे, लोइंग रोड़, उरांव पारा, पंडरीपानी, रायगढ़ में 50 बालकों का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालकों निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालक अपनी उम्र अनुरुप षिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालको को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 56 बालक निवासरत है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **श्री चक्रधर बालिका गृहः**— 03.10.2018 को श्री चक्रधर बालिका गृह नाम से हण्डी चौक दुर्गा मंदिर, रायगढ़ में 75 बालिकाओं का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरुरतमंद बालिकायें निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालिका अपनी उम्र अनुरुप षिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 73 बालिका निवासरत है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

❖ **उम्मीद बरमकेला** :–समिति द्वारा उम्मीद बरमकेला नाम से माझापारा, जगन्नाथ मंदिर के पास बरमकेला, जिला रायगढ़ छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विषेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःषुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 35 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

❖ **एडल्ट्स उम्मीद (घरौन्दा)**:– हमारी समिति द्वारा डी 28 एवं डी 29, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग. में वयस्क दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन घरौन्दा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरपी, योगा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में कुल 25 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

❖ **नशा मुक्ति कार्यक्रमः**—पूर्व वर्षो की तरह इस वर्ष (2019—20) में भी नषा मुक्ति हेतु कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जो कि निम्नानुसार है—

तम्बाकु निषेध दिवसः— 31 मई 2019 को तम्बाकु निषेध दिवस के अवसर पर रायगढ़ शहर के कौहाकुण्डा बस्ती मे वहां के कुछ नागरिकों को लेकर एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें संस्था के मास्टर ट्रेनरो द्वारा तम्बाकु सेवन से शरीर पर पड़ रहै दुष्प्रभावो के बारे में चर्चा किया गया तथा लोगो को इसके सेवन से दुर रहते हुए अपना स्वास्थ्य के साथ परिवार को खुषहाल रखने हेतु विभिन्न प्रकार के चर्चा की गई।

नशा मुक्ति दिवस 26 जूनः—अंतराष्ट्रीय नषा मुक्ति दिवस के उपलक्ष में दिनांक 26 जून 2020 को रायगढ़ शहर के मध्यस्थल पर स्थित अनाथालय में आसपास के लोगो को लेकर नषा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किया गया था जिसमें नषा से मानव समाज को हो रहे हानि के बारे मे वक्तायों के द्वारा विस्तृत रुप में बताया गया।

हमारे समिति द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह एवं नई उम्मीद संस्था के द्वारा 95 बालकों को वर्ष 2013 से लेकर आज पर्यन्त नशा मुक्त कराया गया है। जिनमें से पालक विहिन एवं एकल पालक वाले बालकों को हमारे समिति द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं में दाखिला दिया जा कर आवासीय सुविधा के साथ विद्यालयीन शिक्षा, व्यावसायीक प्रशिक्षण तथा कुछ बालको को रोजगार प्रदाय किया गया है।

श्री बालाजी विशेष विद्यालय नगरी धमतरी :—समिति द्वारा श्री बालाजी विषेष विद्यालय के नाम से नगरी, जिला धमतरी छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुध्दि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विषेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 09 दिव्यांगो के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरुरत अनुसार विषेष षिक्षा, व्यवहारिक षिक्षा एवं दैनंदिनी षिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाऐं निःषुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था में वर्तमान 09 हितग्राही लाभान्वित हो रहें है।

- **उम्मीद की किरण (समर्थ कम घरौंदा)** :— हमारी समिति द्वारा डी 27, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ (छ.ग.) में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगों के लिए नेषनल ट्रस्ट नई दिल्ली के प्रयोजन से समर्थ कम घरौंदा कार्यक्रम, **उम्मीद की किरण** नाम से संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्था में अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं गरीब तथा आश्रय विहिन परिवार के 6 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आजीवन निवास के साथ आवष्यक देखभाल, विषेष षिक्षा तथा व्यवसायिक प्रषिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में वर्तमान कुल 27 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

सचिव
उन्नायक सेवा समिति
रायगढ़ (छ.ग.)